संख्या-22 /2023/1396/78-2-2023-ई-1665903

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक ,यूपीडेस्को,गोमती नगर, लखनऊ।
3- राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2023

विषयः- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों व व्यय की स्थिति की समीक्षा में यह तथ्य उद्घाटित हुआ है कि इस सम्बन्ध में विभाग की प्रगति अत्यंत निराशाजनक है। निगमों/संस्थाओं द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मदवार/योजनावार वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण समयान्तर्गत अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में स्पष्ट रूप से निर्देशित हैं कि संभावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय तथा जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह सामान रूप से की जाय। उक्त शासनादेश में वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के 30 % से अधिक धनराशि एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में 15 % से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां न जारी किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

3- आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रत्येक आदेश में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023,दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्राविधानित उक्त व्यवस्था एवं अन्य सुसंगत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है, लेकिन उनका गंभीरतापूर्वक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

4- ससमय परिपक्व वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनका सम्यक परीक्षण नहीं हो पाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में शासन से पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की स्थिति का सम्यक परीक्षण/ अनुश्रवण समयाभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मदवार/योजनावार ससमय परिपक्व प्रस्ताव (यथा-कार्यदायी संस्थाओं के बिलों का सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षर आदि) वित्तीय औचित्य के मानकों के अनुरूप शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी मद में अनुपूरक बजट मांग का प्रस्ताव शासन को तभी प्रेषित किया जाय, जबकि उस मद में आवंटित धनराशि के चालू वित्तीय वर्ष में शत- प्रतिशत व्यय हो जानी की स्थिति हो। वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत होने के पश्चात सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना/उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराया जाना

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 22**/2023/**1396 (1) / 78-2-2023 एवं दिनांक तद्नुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित**:-**

1**-** निजी सचिव,प्रमुख सचिव, आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ० प्र० शासन **।**

2- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2 , उ० प्र० शासन**।**

3- अनुभाग अधिकारी, आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2 ,उ० प्र० शासन को इस निर्देश के साथ कि स्व स्तर से इस सम्बन्ध में नियमित व सघन अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतल सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**